क्रम-संख्या–178

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 9 अक्टूबर, 2024

आश्विन 17, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम विभाग

श्रम अनुभाग–6

———

संख्या 1875/36-6–2024-102(सा0)-2017

लखनऊ, 9 अक्टूबर, 2024

———

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–29

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेष कर्मचारी राज्य बीमा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट सेवा नियमावली, 1997 में संषोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

उत्तर प्रदेष कर्मचारी राज्य बीमा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेष कर्मचारी राज्य बीमा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट सेवा (प्रथम संषोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेष कर्मचारी राज्य बीमा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट सेवा नियमावली, 1997 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
परिभाषायें–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में–	**3–परिभाषायें**–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में–
(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य निदेशक, उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा श्रम चिकित्सा सेवायें उत्तर प्रदेश से है,	(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;
(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,	(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा श्रम चिकित्सा सेवायें, उत्तर प्रदेश से है;
(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है,	(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है,	(घ) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;
(ङ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,	(ङ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,	(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;
(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर, इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,	(छ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
(ज) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट सेवा से है.	(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से हैं:
(झ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो,	(झ) ''नागरिको के अन्य पिछड़ें वर्गों'' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़ें वर्गों से है;
(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।	(ञ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट सेवा से है;

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
	(ट) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशो द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; (ठ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

नियम 6 का प्रतिस्थापन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
6–आरक्षण–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों. अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	**6–आरक्षण**–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 के अनुसार और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

नियम 8 का प्रतिस्थापन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
शैक्षिक अर्हतायें– सेवा में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उसने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से एक वर्ष का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो या उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो या होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश में सम्यक रूप से निबन्धित किसी चिकित्सा व्यवसायी के अधीन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के रूप में तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो।	**शैक्षिक अर्हतायें**– सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैंः– (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की विज्ञान (गणित या जीव विज्ञान समूह) के साथ इण्टरमीडिएट की परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए; (दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से दो वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा अवश्य प्राप्त की हो और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अनुरक्षित किसी संस्था से तीन माह का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किया हो; (तीन) होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत अवश्य होना चाहिए।

नियम 10 का प्रतिस्थापन

5–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
आयु–अ– सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष को, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई, को अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की होः परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	**आयु**– सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष को जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, के प्रथम जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की होः परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम 14 का प्रतिस्थापन

6–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
रिक्तियों का अवधारण–नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उनकी सूचना आयोग को देगा।	**रिक्तियों का अवधारण**– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के प्रक्रम के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

नियम 15 का प्रतिस्थापन

7–उक्त नियमावली में, नियम 15 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
सीधी भर्ती की प्रक्रिया–(1) चयन के लिए विचार किए जाने के लिए आवेदन–पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। (2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जो अपेक्षित अर्हता रखते हो साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितनी वह उचित समझे। (3) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करे तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित करेगा।	**सीधी भर्ती की प्रक्रिया**– सेवा में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पद पर सीधी भर्ती, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रकिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जाएगी।

8–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः– नियम 17 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
परिवीक्षा–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जायः परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। (4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	**परिवीक्षा**–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है. या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। (3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हो, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

9–उक्त नियमावली में, नियम 20 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम 20 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सेवा में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पद का वेतनमान 1350–30–1440–40–1800–द0रो0– 50–2200 रूपये है।	(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पद का वेतनमान निम्नलिखित रूप में होगाः–

पद का नाम	वेतनमान
होम्योपैथिक फार्मासिस्ट	वेतन मेट्रिक्स लेवल–5 (रू0 29200–92300)

नियम 22 का निकाला जाना

10—उक्त नियमावली में विद्यमान नियम 22 को निकाल दिया जायेगा।

परिशिष्ट परिशिष्ट का प्रतिस्थापन

11—उक्त नियमावली में नियम 4 (2) के साथ पठित विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थातः—

स्तम्भ—1 विद्यमान परिशिष्ट				स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट			
पद का नाम	पदों की संख्या			पद का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग		स्थायी	अस्थायी	योग
	1	2	3		1	2	3
होम्योपैथिक फार्मासिस्ट	01	10	11	होम्योपैथिक फार्मासिस्ट	11	—	11

आज्ञा से,

अनिल कुमार,

प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1875/XXXVI-6-2024-102(Sa)-2017, dated October 9, 2024:

No. 1875/XXXVI-6-2024-102(Sa)-2017

Dated Lucknow, October 9, 2024

IN exercise of the powers conferred by the provisio to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Employees State Insurance Homoeopathic Pharmacist Service Rules, 1997.

THE UTTAR PRADESH EMPLOYEES STATE INSURANCE HOMOEOPATHIC PHARMACIST SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2024.

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called The Uttar Pradesh Employees State Insurance Homoeopathic Pharmacist Service (First Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force at once .

Substitution of rule 3

2. In the Uttar Pradesh Employees State Insurance Homoeopathic Pharmacist Service Rules, 1997, hereinafter referred to as said rules *for* the existing rule 3 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub- rule as hereby substituted*
Definitions- In these rules unless there Definitions is anything repugnant in the subject or context authority; (a) 'appointing authority' means the Director, Employees State Insurance Labour Medical Services, Uttar Pradesh; (b) 'citizen of India' means a person who is or deemed to be a citizen of India under Part-11 of the Constitution;	**Definitions-**In these rules unless there is anything repugnant subject or context; (a) 'ACT' means The UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994; (b) 'appointing authority' means the Director, Employees State Insurance Labour Medical Services, Uttar Pradesh;

(c) 'Commission' means the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission;

(d) 'Constitution' means the Constitution of India;

(e) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(f) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(g) 'member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) 'Service' means the Uttar Pradesh Employees State Insurance Homoeopathic Pharmacist Service;

(i) 'substantive appointment' means an appointment, not being an *ad-hoc* appointment, on a post in the cadre of the Service made after selection in accordance with rules and if there are no rule, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(j) 'year of Recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of calendar year.

(c) 'citizen of India' means a person who is or deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

(d) 'Commission' means the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission;

(e) 'Constitution' means the Constitution of India;

(f) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(g) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(h) 'member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(i) 'Other backward classes of citizens' means the backward classes of citizen specified in Schedule-1 of the Act, as amended from time to time;

(j) 'service' means the Uttar Pradesh Employees State Insurance Homoeopathic Pharmacist Service;

(k) 'substantive appointment' means an appointment, not being an *ad-hoc* appointment, on a post in the cadre of the Service made after selection in accordance with rules and if there are no rule, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(l) 'year of Recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of calendar year.

Substitution of rule 6

3. In the said rules, *for* the existing rule 6 set out in Column-1 below, the Rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub- rule as hereby substituted*
6. Reservation- Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the provisions of the Utter Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.	**6. Reservation-** Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Categories shall be in accordance with the Act and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, and also in accordance with The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically weaker Sections) Act, 2020 as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Substitution of rule 8

4. In the said rules, *for* the existing rule 8 set out in Column-1 below, the Rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub- rule as hereby substituted*
Academie qualification- A candidate for direct recruitment to the post of Homoeopathic Pharmacist in the Service, must have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognized by Government as equivalent thereto, have successfully undergone one year Homoeopathic Pharmacist Training Course in an institution recognized by the Government or, have two years practical experience as Homoeopathic Pharmacist in a Government recognized institution or have three years practical experience in a Homoeopathic Pharmacist under a medical practitioner duly registered with the Homoeopathic Medicine Board, Uttar Pradesh.	**Academie qualification-** A candidate for direct recruitment to the posts in the Service, must possess the following qualifications:- (i) Must have passed the Intermediate Examination with science (Mathematics or Biology Group) of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognized by the Government as equivalent thereto; (ii) Must have obtained two year's Homoeopathic Pharmacist Diploma from an Institution recognized by the Government and has undergone three months Homoeopathic Pharmacist Training Course from an Institution recognized or maintained by the Government, and ; (iii) Must be registered with the Homoeopathic Medicine Board, Uttar Pradesh.

Substitution of rule 10

5. In the said rules, *for* the existing rule 10 set out in Column-1 below, the Rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub- rule as hereby substituted*
Age-A- Candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 32 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment advertised by the Commission:	**Age-A-** Candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than forty years on the first day of July of the calendar year in which vacancies are advertised:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Substitution of rule 14

6. In the said rules, *for* the existing rule 14 set out in Column-1 below, the Rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub- rule as hereby substituted*
Determination of Vacancies- The appointment authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Tribes Scheduled and other categories under rules-6.	**Determination of Vacancies-** The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rules-6.

Amendment of rule 15

7. In the said rules, in rule 15 *for* existing sub-rule (3), set out in Column-1 below, the Rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub- rule as hereby substituted*
Procedure for direct recruitment- (1) Applications for being considered for selection shall be inserted by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission.	**Procedure for direct recruitment-** Direct recruitment to the post of Homoeopathic Pharmacist in the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group 'C' posts (Mode and Procedure) Rule, 2015 as amendment from time to time.
(2) The Commission shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates who fulfil requisite qualifications, as they consider proper.	
(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate im the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the name of the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The number of the names. in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of the vacancies. Then Commission shall forward the list to the appointing authority.	

Substitution of rule 17

8. In the said rules, *for* the existing rule 17 set out in Column-1 below, the Rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub- rule as hereby substituted*
Probation- (1) A person on a substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.	**Probation-** (1) A person on a substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013.
(2) The appointing authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted: Provided that, save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and пo circumstances beyond two years.	(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post his service may be dispensed with.
(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not held a lien on any post, his services may be dispensed with.	(3) A probationer whose is reverted or whose services are dispensed with under sub- rule (2) shall not be entitled to any compensation.
(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule(3) shall not be entitled to any compensation.	
(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent of higher post to be taken into account for the purpose of computing the period ofs probation.	

Amendment of rule 20.

9. In the said rules, *for* the existing rule 20 *for* existing sub-rule (2), set out in Column-1 below, the Sub rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-2 *Sub- rule as hereby substituted*
(2) The scale of pay of the post of Homoeopathic Pharmacist in the Service at the time of commencement of these rules is Rs. 1350-30-1440-40- 1800-EB-50-2200.	(2) The scale of pay of the Post of Homoeopathic Pharmacist at the time of commencement of these rules is given as follows:-

Name of post	Scale of pay
Homoeopathic Pharmacist	Pay Matrix Level-5 (Rs 29200- 92300)

Omission of rule 22

10. In the said rules, the existing rule 22 shall be *omitted*.

APPENDIX

11. Substitution of the Appendix In the said Rules, *for* the existing Appendix *read* with rule 4 (2) the following Appendix shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 *Existing sub-rule*				COLUMN-2 *Sub- rule as hereby substituted*			
Name of post	**Number of posts**			**Name of post**	**Number of posts**		
	Permanent	Tempor-ary	Total		Perma-nent	Tempor-ary	Total
	1	2	3		1	2	3
Homoeopathic Pharmacist	01	10	11	Homoeopathic Pharmacist	11	-	11

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 291 राजपत्र–2024–(744)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 11 सा0 श्रम–2024–(745)–100+100=200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

291 RPH 2024 (Shram folder anu-6) Data 8d